सार-समाचार

6 लाख की आर्थिक सहायता मंजूर

बून्दी। जिले में विभिन्न स्थानों पर हुए हादसों में मृतक 6 व्यक्तियों के आश्रितों को जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 6 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार मृतक घनश्याम मीणा निवासी देवपुरा गुढ़ागोकुलपुरा, मृतक गोबरिया निवासी कोडक्या, बिन्टू गुर्जर निवासी भीमगंज, मनीष कुमार प्रजापति निवासी डोकून, संजू रैगर निवासी बांसी एवं मुकेश जैन निवासी हाउसिंग बोर्ड जवाहर नगर बूंदी के आश्रितों को प्रत्येक को एक-एक लाख की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।

एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

बून्दी। बूंदी जिले में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस इकाइयों के संस्था प्रधान एवं कार्यक्रम प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक ओमप्रकाश गोस्वामी अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। संदर्भ व्यक्ति व्याख्याता बरूंधन रणजीत मीणा ने पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बजट का उपयोग, भुगतान करने तथा एम0पी0आर0 भरने की प्रक्रिया समझाई।गोस्वामी ने निदेशालय से प्राप्त निर्देशों की पालना समय पर करने हेतु सभी को पाबंद किया। पेच की बावडी प्रधानाचार्य शंकरलाल ने प्रतिवेदन लेखन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

विशाल गुर्जर को बधाई दी

रावतभाटा, (निस)। शिखर आ .टी.आ के निदेषक राजेष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया की रावतभाटा निवासी विशाल गुर्जर पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर शिखर आ .टी.आ का छात्र रहा है, जिसका भारतीय सेना में आईटीआई के बेस पर टेक्निकल पद अग्निवीर पर चयन होने पर रावतभाटा उपखंड क्षेत्र का नाम रोषन किया और जिस पर खेत्र वासियो ने बधा एवं शुभकामनाएं दी।

मालगाड़ी के सामने आकर की आत्महत्या

छबड़ा। क्षेत्र के गोड़ियामेहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल ने रविवार शाम को कोटा-बीना रेलवे मार्ग पर स्थित मोतीपुरा स्टेशन के पास पटरी पर मालगाडी के सामने आकर आत्महत्या कर ली है।पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।बापचा थाना अधिकारी सुरेंद्र कुंतल के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि किसी व्यक्ति ने मालगाडी के सामने आकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर जाकर शिनाख्त की गई तो मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान रामेश्वर प्रसाद मीना (47) पुत्र कन्हैयालाल निवासी कालीपहाडी जिला दौसा के रुप मे हुई। जो बांके बिहारी चौराहा के समीप किराए के मकान में रहता था। यह उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़ियामेहर में पिछले दो वर्ष से प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर चिकित्सालय के मोर्चरी कक्ष में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया है। परिजनों के आने के पश्चात ही अठिाम कार्रवाई की जाएगी।

परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत किया

मांगरोल, (निसं)प्रदेश भर में चल रही भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार को परिवर्तन यात्रा रथ इटावा से रवाना होकर मांगरोल कस्बे में पहुंचने पर जगह-जगह ऐतिहासिक स्वागत किया कांठोस शासन में लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है इसलिए कांठोस शासन को जड़ उखाडकर फेंकना है इस लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है यह परिवर्तन यात्रा सीसवाली तिराए पर भाजपा नगर मंडल ,देहात मंडल के द्वारा भाजपा परिवर्तन रथ यात्रा में आये साथ प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दाढीश , बाराँ झालावाड सांसद दुष्यंतसिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्वभाजपा जिला अध्यक्ष आनंद गर्ग,का नगर मंडल अध्यक्ष पीयूष विजय देहत मंडल अध्यक्ष दिलीप मीणा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमित चोपडा पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम नागर भाजपा महामंत्री संजय गालव प्रतिपक्ष नेता प्रहला सिंह,अंता प्रधान प्रखर कौशल शर्मा,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिता पोरवाल, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण पारेता ,डॉक्टर मांगीलाल गोस्वामी,भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष दशरथ सिंह भाजपा मोर्चा अध्यक्ष भारत चौरसिया पूर्व भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र चौरसिया अमितदीगवाल ,भूपेंद्र सुमन ललित गौतम पवन चौपडा, पूर्व नगर पालिका उपध्यक्ष मोहम्मद अशफाक अंसारी ,रामबिलास मीणा, पूर्व वक्तबोर्ड सदर ऐसान अली, शंकरलाल सुमन,तथा ऋतिक सुमन द्वारा भी भाजपा परिवर्तन यात्रा भव्य गेट लगाकर स्वागत किया।

कार्यकारिणी की घोषणा

अन्ता । संयुक्त व्यापार महासंघ अन्ता के सर्व सम्मति से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल ने सोमवार को सभी वर्गो का ध्यान रखते हुए अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के हित की लडाई लडने के लिए सदैव आगे रहूंगा। संयुक्त व्यापार महासंघ अन्ता के प्रवक्ता पवन मोहबिया व योगेंद्र नामा हम्पी ने बताया कि गत 10 सितम्बर रविवार के दिन संयुक्त व्यापार महासंघ का चमन रिसोर्ट में सैंकड़ों व्यापारियों की उपस्थिति में पुनर्गठन किया गया , जिसमें सर्वसम्मति व भारी हर्षध्वनि के साथ पुन: वरिष्ठ व्यवसायी रामेश्वर खंडेलवाल को पुन: अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया ।

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बूंदी। केंद्रीय विद्यालय बूंदी में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत ई-वेस्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के तहत अमित कुमार तिवारी ने ई-वेस्ट के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूकता करते हुए एवं ई-वेस्ट की समस्या एवं समाधान के बारे में बताया। इसके साथ ही विद्यालय में प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता आयेजित की गई।

किसान नेता की गिरफ्तारी का विरोध

मांगरोल,(निसं) । किसान नेता के समर्थक में कृषि उपज मंडी में सोमवार को एकरित होकर समर्थक किसान व मीणा समाज के युवाओ ने हजारो की सख्या में जुलूस निखालकर मुख्य मार्ग से तहसील कार्यालय पर पहुंचकर किसान नेता नरेश मीणा के समर्थकों ने मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर मुंख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मंजूरअली दीवान को ज्ञापन सौंपा । गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने केबीनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया । वहीं तहसील कार्यालय कि आगे शमशान घाट दरवाजे पर जाकर नाराज समर्थको ने खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया का पुतला भी फूंका । समर्थको ने बताया की युवा किसान नेता नरेश मीणा को झूठे मुकदमों में फसाया गया जिसे जल्द रिहा करें नहीं तो बारां जिले के सम्पूर्ण किसान व जनता द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

परिवर्तन संकल्प यात्रा कल रामगंज मंडी पहुंचेगी

रामगंजमंडी,(निसं)।विधायक मदन दिलावर ने शहर के एक से लेकर वार्ड नंबर 21 तक के बापू कॉलोनी बैरागी कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड गोवर्धनपुरा सुभाष कॉलोनी मारुति नगर वृंदावन कॉलोनी पुराना हॉस्पिटल चौराहा व शिवाजी नगर में पहुंचकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा में आने का आमंत्रण दिया।

- **पीले चांवल देकर परिवर्तन संकल्प यात्रा में आने का दिया आमंत्रण**

विधायक मदन दिलावर ने बैठक कर परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेने के लिए लोगों का आव्हान किया।

विधायक दिलावर ने कहा की गहलोत राज ने 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार फैलाया अपराधी निरंकुश हुए चारों तरफ कुशासन फैला हुआ है।जिससे जनता परेशान है और परिवर्तन चाहती है।आपके मन की भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा निकल रही है। दिलावर ने कहा की आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी गहलोत सरकार के खिलाफ मैंने हर बार मामला उठाया इस कांठोस राज ने सुधारने और ठीक राह पर चलने के बजाय मेरे खिलाफ राजद्रोह और हत्या के झूठे मामले दर्ज किए हैं पर हम भी इससे डरने वाले नहीं हैं। गहलोत राज के पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने सभी से परिवर्तन यात्रा संकल्प सभा में शामिल होने की अपील की ।भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व सदस्य वीरेंद्र जैन ने कहा की गहलोत राज ने हमारे साथ हमेशा पक्षपात और अन्याय किया है चिकित्सा अव्यवस्था जर्जर सडकें महंगी और कटौती वाली बिजली के साथ रामगंजमंडी को जिला बनाने के मामले में भी हमारी अनदेखी की गई है हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमेशा की तरह इस बार भी हमें परिवर्तन यात्रा की सभा सफल बनानी है।नगर महामंत्री अखिलेश मेड़तवाल ने बताया भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 20 सितंबर बुधवार को दोपहर 12:00 बजे अंबेडकर चौराहे पर पहुंचेगी जहां यात्रा का स्वागत एवं आम सभा होगी।जहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवर्तन यात्रा के साथ रामगंजमंडी आएंगे।

रामगंजमंडी में चल रही पर्युषण महापर्व की भव्य आराधना

रामगंजमंडी,(निसं)।आदिनाथ जैन श्वेतांबर श्री संघ में पर्युषण पर्व की आराधना हर्षोल्लास से चल रही है।जहाँ आराधना करवाने के लिए वर्धमान स्वाध्याय मंडल के यतीन्द्र भाई भंडारी महिदपुर रोड समकित भाई वया छोटीसादडी अंशुल भाई मेहता अर्पित भाई बरडिया रावतभाटा से पधारे हैं। जहाँ प्रतिदीन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम स्वाधायीय भाइयों की निश्रा में आयोजित किए जा रहे हैं।

- **प्रतिदिन किए जा रहे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित**
- **'धर्म के बिना जीवन अधूरा'**

आदिनाथ जैन श्वेतांबर श्री संघ में पर्युषण पर्व की आराधना हर्षोल्लास से की।

उन्होंने ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के सातवें दिन सोमवार को प्रवचन में कहा कि पर्यूषण पर्व मनुष्य को अपना जीवन में अहिंसा की पालन अवश्य करनी चाहिए।उन्होंने नेमिनाथ भगवान का उदाहरण देते हुए बताया कि जहां नेमिनाथ भगवान अपने विवाह प्रसंग पर निर्धन जानवरों को मुक्त करवा कर अहिंसा का उदाहरण दिया।उन्होंने बताया कि प्रवचन में मनुष्य को अपने जीवन में धर्म आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए धर्म के बिना यह जीवन आधा अधूरा है। धर्मी मनुष्य की हर जगह प्रशंसा होती हैं। मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है और उसमें भी सद्ध मार्ग मिलना बहुत ही मुश्किल है आज का मनुष्य का जीवन चारों तरफ से में घिरा हुआ है।हर तरफ आज दु:ख और कठिनाईयां ही है।दुखों को कम करने का उपाय धर्म आरधना ही है। धर्म से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है।वहीं प्रवचन में भगवान श्री पारसनाथ भगवान श्री नेमिनाथ भगवान श्री आदिनाथ के जीवन के बारे में विस्तार से समझाया और कहा कि हमें अपने जीवन में परमात्मा के जीवन से प्रेरणा लेकर सद कार्य करने चाहिए।वहीं स्नात्र पूजा व प्रभावना का लाभ कैलाश चंद्र विकास विशेष परिवार एवं साधर्मिक भक्ति का लाभ महावीर अंशुल व अक्षय,मेहता परिवार ने लिया।

'स्वच्छता पहली आवश्यकता'

बून्दी। राजकीय महाविद्यालय बून्दी में एनएसएस महिला इकाई द्वारा स्वच्छता की सेवा अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता शपथ प्राचार्य डॉ. ओपी शर्मा द्वारा दिलवाई गई। स्वच्छता शपथ दिलवाते हुए प्राचार्य शर्मा ने कहा कि स्वच्छ व्यक्ति ही स्वच्छ समाज एवं राष्ट्र की बुनियाद रख सकता है। किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने में स्वच्छता प्रथम आवश्यकता है। स्वच्छता व्यक्ति के न केवल शारीरिक अपितु बौद्धिक विकास हेतु भी अत्यन्त आवश्यक है। महिला इकाई प्रभारी प्रो. सीमा चौधरी ने बताया कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रथम सोपान स्वच्छता ही है।

'मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मुस्तैदी से करें कार्य'

बूंदी। पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों संबंधी साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में बरसात से हुए फसल खराबे का आकलन करवाकर इसकी सूचना तुंरत दी जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल की लाइनों में जहां भी लीकेज है, उनको तुरंत ठीक किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए मुस्तैदी से कार्य करे। डेंगू की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां करवाई जावे। फॉगिंग का कार्य निरंतर करवाया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाडी, राजकीय छात्रावास, महाविद्यालय आदि स्थानों पर पानी की टंकियां, कूलर आदि की सफाई आवश्यक रूप से करवाई जावे।

उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग द्वारा साप्ताहिक अवकाश चलाकर शिक्षण संस्थाओं में पानी की टंकियां व कूलर आदि की अच्छी तरह सफाई करवाई जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि गरिमा पेटी की नियमित जांच की जावे। साथ ही प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की मॉनिटरिंग भी की जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों के रास्तों में कीचड आदि है, उनके लिए प्रस्ताव बनाकर जिला परिषद को भिजवाए जाएं, ताकि स्कूल तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता बनाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए जिले में संचालित निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर इन कार्यों की गुणवत्ता जांची जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया

बूंदी। सोमवार को आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2023 के तहत विधानसभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लिए की गई तैयारियों की केशवरायपाटन पंचायत समिति सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी नेनिर्वाचन से जुडे अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव भी बैठक में मौजूद रहे।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शिता से सम्पन्न हो निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पन्न हो। उन्होंने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली और निर्देश दिएशांतिपूर्वकचुनाव सम्पन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम रखे जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं अभी से सुनिश्चित कर ली जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए असामाजिक को पाबंद किया जाए। सेक्टर लोकेशन चिन्हित कर ली जावे।

- **'स्वच्छ, निष्पक्ष व पारदर्शिता से सम्पन्न हो निर्वाचन की प्रक्रिया'**

प्रशासन ने विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों का जायजो लिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि सीविजलएप पर सूचनाओं का आदान प्रदान अतिशीघ्र हो, इस तरह से कार्य त्वरित गति से हो। मतदान केन्द्रों पर समस्या उत्पन्न करने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखी जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि ईवीएम सुपरवाईजर को ईवीएम की कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान कम रहा था, ऐसे स्थानों पर अधिकाधिक स्वीप गतिविधियों आयोजित कर मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जावे। इसके अलावा80प्रतिशत से अधिक मतदान वाले मतदान केन्द्रों की सूची बनाई जावे। वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल तथा सक्षम एप काहोप्रचार प्रसार उन्होंने निर्देश दिए कि फेक न्यूज के मामले मेंसुपरवाइजरसंबंधित आरओ की तुरंत इसकी जानकारी से अवगत कराएं। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्र में जिन स्थानों परराजनैतिकविज्ञापन लगे है, उनकी सूची अभी से तैयार कर ली जावे, ताकि आदर्श आचार संहिता की पालना में किसी तरह की समस्या नहीं आए। उन्होंने निर्देश वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल तथा सक्षम एप का अधिक प्रचार प्रसार किया जावे। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं का डाटा भी तैयार किया जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि उपखण्ड अधिकारी उनके क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं निर्वाचन कार्य से जुडे विभागों की नियमित रूप से बैठक लेकर चुनाव के लिए की जा रहीतैयारियों कीसमीक्षा करे। अवैध शराब की बिक्री व परिवहनहो कडी रोकथाम बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि क्षेत्र में किसी भी स्थान पर अवैध शराब की बिक्री व परिवहन नहीं हो, इसके समुचित प्रबंध रहे। अवैध शराब के परिवहन व मतदाताओं को प्रलोभन देने वाले की रोकथाम के लिए कडी नजर रखी जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि बल्क एसएमएस की सूचना भी दी जावे। उन्होंने निर्देश दिए कि अवैध शराब के परिवहन की रोकथाम के लिएचेकपोस्टों के माध्यम से निगरानी रखी जावे।

रावतभाटा तहसील क्षेत्र को जिला बनाने की मांग

रावतभाटा, (निस)। रावतभाटा तहसील क्षेत्र को जिला बनाने की मांग रावतभाटा के बार एसोसिएशन एवं राजस्थान बाम्हण महासभा ने फिर उठा है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप बील्लू ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री को इसके लिए ज्ञापन भेजा गया है।

जिसमें रावतभाटा की विभिन्न भौगोलिक स्थिति पर चर्चा कर बताया कि रावतभाटा को जिला बनाना क्यों जरूरी है। वर्तमान मे रावतभाटा जिला चित्तौडगढ मे हैं, जो जिला मुख्यालय से करीब 150 किमी. दूर तथा रावतभाटा का अंतिम गांव मन्याखेडी जिला मुख्यालय से करीब 200 किमी. दूर है। आवागमन के साधन भी नहीं है। रावतभाटा मे राजस्थान परमाणु बिजलीधर की 8 यूनिट, एनएफसी की निर्माणाधीन परियोजना, भारी पानी संयंत्र, जैसे भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित है। जिनका जिला मुख्यालय से निरन्तर सीधा सम्पर्क बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। यहां की जनसंख्या भी करीब 80 हजार के करीब है। आस पास क ग्रामीण क्षेत्र है। वर्तमान मे 3 पुलिस थाना क्षेत्र हैं यहां की दूरी व जनसंख्या को मध्ये नजर रावतभाटा को जिला घोषित किया जाना आवश्यक है ताकि आम जन व सरकारी समूह को जिला मुख्यालय की सुविधा व सम्पर्क सुगम हो सके।

जिसमें प्रशासनिक पद खाली रखने, यातायात व्यवस्था नहीं होने, न्यायालय की कमी, सरकारी भवनों की जर्जर हालत, वन विभाग के अड़ंगे के कारण सडक का रुकना, भारी पानी संयंत्र, आरएपीपी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान होने के कारण रावतभाटा को जिला बनाना जरूरी है। रावतभाटा की चित्तौडगढ से रावतभाटा उपखंड के अंतिम गांव की दूरी 220 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी प्रदेश की राजधानी की भी दूरी नहीं है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए रावतभाटा को जिला बनाने को जरूरी बताया।

आम सूचना

सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री धर्मपाल सुमन पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल सुमन निवासी 98 विनोबाभावे नगर कोटा की पुत्री "मानवी" है जो वर्तमान में अपने नाना-नानी के यहां निवास करती है जिसका आचार-विचार, खान पान, रीति रिवाज, संस्कार व व्यवहार मेरे पक्षकार के अनुकूल न होने से मैं अपने स्वामित्व वाली तमाम चल-अचल सम्पत्तियों से उक्त पुत्री मानवी को बेदखल करता है, अब मेरे पक्षकार की उक्त पुत्री मानवी का मेरे पक्षकार की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति पर कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है।

दिनांक : 18.09.23

भवदीय
राजेन्द्र गौतम एडवोकेट
98 शास्त्रीनगर दादाबाड़ी कोटा
मो. 9828131819

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2023-24/100603 लोक सूचना दि.18.09.2023

श्री OMPRAKASH पुत्र श्री KALYAN जाति BERWA निवासी SOGARIYA TEH. LADPURA KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	चन्द्रेसल, लाडपुरा (कोटा)	OMPRAKASH S/O KALYAN JAATI BERWA NIWASI SOGARIYA KOTA	1075/1	5700	0.57
				कुल	0.57

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18/09/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ/तहसील/क.ब./2023/497 दिनांक:-05.04.23

पट्टा हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा कच्ची बस्ती नियमन के तहत सर्वे संख्या 684 कच्ची बस्ती प्रेम नगर-II श्रीमती राज कुमारी पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद निवासी प्रेमनगर-II कच्ची बस्ती कोटा राज. द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत सर्वे सूची में श्री रामप्रसाद पुत्र श्री धूली लाल है प्रस्तुत सूची के अनुसार रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी द्वारा पट्टे हेतु आवेदन किया है। जिसमें दोनों पुत्र बहादुर कुमार आकोदिया एवं विजय कुमार की सहमति बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अत: श्रीमती राजकुमारी पत्नी स्व. श्री रामप्रसाद के पक्ष में पट्टा जारी किए जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा बाद मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2312 जाहिर आम सूचना दिनांक - 15.9.23

आवास संख्या 2-म-9 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री नामामल पुत्र श्री खूबचन्द को किया गया था। श्री नामामल पुत्र श्री खूबचन्द द्वारा इस आवास का पंजीयन दिनांक 23.08.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्री नामामल कृपलानी पुत्र श्री खूबचन्द कृपलानी की मृत्यु दिनांक 02.03.2010 को हो चुकी है। श्री नामामल कृपलानी द्वारा मृत्यु पूर्व उक्त आवास की वसीयतनामा, इकरारनामा व मुख्तारनामा आम श्री मोहन कोटवानी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल कोटवानी के पक्ष में दिनांक 10.08.1995 को आलेखित किया गया, जिसके आधार पर श्री मोहन कोटवानी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल कोटवानी के नाम कार्यालय आदेश क्रमांक 275 दिनांक 19.04.2023 से उक्त आवास हस्तांतरण/प्रतिस्थापन किया गया। तत्पश्चात श्री मोहन कोटवानी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल कोटवानी द्वारा उक्त आवास का दान जरिये उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) आलेखित कर अपनी पुत्री श्रीमती रिचा कमल जाधवानी पत्नी श्री कमल गिरधारी जाधवानी को किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्रीमती रिचा कमल जाधवानी पत्नी श्री कमल गिरधारी जाधवानी के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्रीमती रिचा कमल जाधवानी पत्नी श्री कमल गिरधारी जाधवानी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में उपहार पत्र (गिफ्ट डीड) के आधार पर श्रीमती रिचा कमल जाधवानी पत्नी श्री कमल गिरधारी जाधवानी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-द्वितीय/भ.नि.अनु./2023/23416 दिनांक: 18.9.23

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री संजीव शर्मा पुत्र स्व. श्री बृज मोहन शर्मा एवं श्रीमती विनीता शर्मा पत्नी श्री संजीव शर्मा निवासी आवास संख्या 1-प-2 विज्ञान नगर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-प-2 विज्ञान नगर कोटा क्षेत्रफल 208.68 वर्गमीटर अर्थात 2446.68 वर्गफुट में से 1602.60 वर्गफुट भाग का सम्पूर्ण स्वामित्व एवं शेष भाग 844.08 वर्गफुट की छत का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। आवास संख्या 1-प-2 विज्ञान नगर कोटा क्षेत्रफल 208.80 वर्गमीटर का आवंटन राजस्थान आवासन बोर्ड जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक एच 2/के टी/वी एन/एम 1/42/पी 3/78/4156 दिनांक 23.05.1980 से श्री बृजमोहन शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा को किया गया। श्री बृज मोहन शर्मा ने जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 15.01.2021 से उक्त आवास पश्चिम दिशा में निर्मित 6 दुकानों व कॉर्नर ऑफिस को छोड़कर उनके पीछे की ओर स्थित ग्राउण्ड फ्लोर का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा उस पर निर्मित आवासीय परिसर एवं उक्त 6 दुकाने तथा ऑफिस की छत पर निर्मित कमरों सहित प्रथम मंजिल का समस्त क्षेत्र तथा इस पर निर्मित सम्पूर्ण परिसर व उसकी छत अर्थात ग्राउण्ड फ्लोर के उक्त आवासीय परिसर व प्रथम मंजिल के सम्पूर्ण एरिया मय छत के वसीयत श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा एवं श्रीमती विनीता शर्मा पत्नी श्री संजीव शर्मा के नाम कर दी तथा उक्त आवास के पश्चिम दिशा में स्थित ऑफिस क्षेत्रफल 82.95 वर्गफुट भाग बिना छत के अधिकार के जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 04.02.2021 से श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री बृज मोहन शर्मा को दान कर दिया। श्री बृज मोहन शर्मा का देहावसान दिनांक 16.03.2023 को हो जाने के उपरांत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त आवास के आवेदित भाग का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवास के आवेदित भाग का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त आवास से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रुपान्तरण नगर परिषद बारां

क्रमांक:-नपबा/रुपां./2023/6497-98 लोक सूचना दिनांक:-25.08.2023

श्री चाहन्या बाई पत्नी श्री जगदीश प्रसाद जाति मीणा निवासी ढोती तह. अटरु व जिला बारां राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन (आवासीय प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र
बारां, तहसील व जिला बारां	नलका	643/564, 644/614 कुल किता 2	0.02 हे. 0.08 हे. कुल रकबा 0.10 हे.

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज.........को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी आयुक्त नगर परिषद बारां

(नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय...नगर परिषद बून्दी (राज.)

क्र.सं. 5674 लोक सूचना दिनांक-14.9.23

आवेदक श्री महिपत सिंह हाडा पुत्र श्री मूल सिंह हाडा निवासी बून्दी ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक होटल प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्र
तहसील बून्दी जिला बून्दी	ग्राम बून्दी सिटी	402, 405	रकबा 8025.91 वर्गमीटर होटल प्रयोजनार्थ

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृत अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपयुर्क्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 14.9.23 को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद बून्दी

लोक सूचना — कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2023-24/100607 दिनांक: 18.09.2023

श्रीमती CHANDA BAI पत्नी श्री LATE MADAN LAL जाति SAINI निवासी POST-SHRI RAMNAGAR DEOLI ARAB KOTA श्री HARINARAYAN पुत्र श्री PRABHU LAL जाति SAINI निवासी GANESH JI KE MANDIR KE PASS DEOLI ARAB ROAD NAYANOHRA, KOTA श्री HARIOM पुत्र श्री BIRDHI LAL जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, KOTA श्रीमती KAJODI BAI पत्नी श्री INDRARAJ जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, KOTA श्री KANHIYA LAL पुत्र श्री BIRDHI LAL जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, KOTA श्री M/S VRB DEVELOPERS LLP THROUGH BHUPERNDRA JHURIA पुत्र श्री MAHENDRA SINGH जाति JAT निवासी GRAM- PALRI, THE.-BHADRA, PALRI BHADI HANUMANGARH श्री MAHAVEER PRASAD पुत्र श्री BIRDHI LAL जाति NAYAK निवासी SHRI RAM NAGAR COLONY, DEOLI ARAB ROAD BORKHEDA SALASAR DHAM MALTI KE SAMNE ARJUNPURA KOTA श्री RAM RATAN पुत्र श्री PRABHU जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, KOTA श्री RAMESH पुत्र श्री INDRARAJ जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA UDHOGPURI, KOTA श्रीमती SUGNA BAI पत्नी श्री BIRDHI LAL जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, KOTA श्री SUNIL KUMAR पुत्र श्री INDER RAJ जाति SAINI निवासी MALIYO KA MOHLLA DEOLI ARAB, UDHOGPURI KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल वर्ग.मी	क्षेत्रफल हेक्टे
1	देओलीअरब, लाडपुरा (कोटा)	KAJODI W/O INDRARAJ, RAMESH, SUNIL S/O INDRARAJ, SUGNA W/O BIRDHI LAL, KANHIYA LAL, HARIOM S/O BIRDHI LAL, CHANDA BAI W/O MADAN LAL, MAHAVEER PRASAD NAYAK S/O BIRDHI LAL, RAMRATAN, HARI NARAYAN S/O PRABHU, M/S VRB DEVELOPERS LLP, RAM MOHAN MISHRA, SANJEEV	398 SOUTH SIDE PART	3100	0.31
2			405	3500	0.35
3		KAJODI W/O INDRARAJ, RAMESH, SUNIL S/O INDRARAJ, SUGNA W/O BIRDHI LAL, KANHIYA LAL, HARIOM S/O BIRDHI LAL, CHANDA BAI W/O MADAN LAL, MAHAVEER PRASAD NAYAK S/O BIRDHI LAL, RAMRATAN, HARI NARAYAN S/O PRABHU, RAM MOHAN MISHRA S/O HARA DHAN, MOHD. SHAFIK	406	1500	0.15
				कुल	0.81

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 18.09.2023 को जारी की गयी। प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा